17 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने वाद पत्र के केवल तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर वाद पत्र को स्वीकार किये जाने की बहस की। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। विवादित आराजियात ग्राम जुडा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में स्थित खातेदार बिहारीलाल s/o रतनलाल कुम्हार खातेदार देह के नाम दर्ज रेकॉर्ड थी जिसकी तस्दीक प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी की नकल संवत 2019 से 2022 प्रदर्श-3 से होती है। उक्त आराजियात के हाल नम्बर कायम हुये। जिसकी तस्दीक प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड मिलान खसरा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-6 से होती है मांगीचन्द s/o रामेश्वरलाल महाजन द्वारा ग्राम जुडा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

(नियम 26)

मुकाम ____________________

अज अदालत ____________________ बनाम ____________________ सन् ________

नं. ____________________

किस्म मुकदमा ____________________

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज | नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी |
|---|---|---|
| | 1913, 1914, 240, 242 व 245 कुल किता 5 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा भूमि में हक व हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के स्थगन, खसरा नं 510 व 513 महाजनों बेचान किया। जिसकी तस्दीक प्रस्तुत विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श-7 से होती है। स्थगन, खसरा नं 510 भूखण्ड बिड़ला के उनके खाते व नकद कारण की काश्तकारान का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तादादी 40000/-रुपये के द्वारा श्रीमती मोती w/o भेरूलाल माली को बेचान किया। जिसकी तस्दीक प्रस्तुत विक्रय पत्र की फोटो प्रति प्रदर्श-8 से होती है प्रस्तुत दस्तावेजों व वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार विवादित काश्तकारान कायम रिकार्ड के अनुसार 10 बीघा 9 बिस्वा भूमि दर्ज थी, फिल्ड लोकेशन के दौरान काबिज काश्तकारान के नाम नम्बर कायम है। उनका रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा ही बिस्वा भूमि वादी व प्रतिवादी गण के केवल खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जिसकी तस्दीक प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत 2066 से 2069 प्रदर्श-1,2 से होती है इस प्रकार 3 बिस्वा भूमि को कम करके लोकेशन द्वारा रास्ते की नवीन आराजी नं. 224 के रकबे में अतिरिक्त दर्ज किया। जिसको दुरुस्त व पुनः इन्द्राज कराना चाहते है। क्योंकि काबिज नक्शा व हाल नक्शे के मिलान करने पर काबिज नक्शे में रास्ते का कोई पथ नहीं था। नये जिसके नवीन रिकार्ड में रास्ता कायम कर दिया गया। जो दर्शाया त्रुटि पूर्ण है जिसको दुरुस्त किया जाकर काबिज रिकार्ड के अनुसार इन्द्राज करना न्यायहित में<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>मांडल जिला भीलवाड़ा | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख आहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | करवाया जाकर भी वाद पत्र के खण्डन में कोई जवाबदावा व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई। तब एक तरफा कार्यवाही का आदेश पारित हुआ।<br>उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी स्वयं वाद पत्र के लिए हकदार है अतः खर्च के अदम शामिल वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ। अतः<br>:: आदेश ::<br>वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण क्र० [illegible] है इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम [illegible] तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नं० 215 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा के स्थान पर 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी क्र० 1 से 6 नाम दर्ज करते हुए कुल रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में भूमि वादी एवं प्रतिवादी क्र० 1 से 6 के नाम दर्ज की जावे। तथा हाल नम्बरी 4 हाल आराजी नं० 215 व 258 के कदम रास्ते के रूप में दर्शाई जाये प्रमाण रकबा 3 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी व प्रतिवादी क्र० 1, 3, 4, 5, 6 का राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। तदनुसार डिक्री जारी की जावे। पत्रावली [illegible] उपरान्त जाकर दफ्तर दाखिल हो। | |

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री देवीसिंह रावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–45 / 2011 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89–188–92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री शंकरलाल पिता बिहारीलाल बिड़ला, उम्र बालिग निवासी मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) -----वादी

बनाम

1–श्रीमति मांगी पत्नि भंवरलाल माली, उम्र बालिग निवासी मालीखेड़ा उर्फ राजपुरा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

2–श्री माणकचन्द पिता रामेश्वरलाल बिड़ला, उम्र बालिग निवासी मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

3–श्री राधेश्याम पिता रामेश्वरलाल बिड़ला, उम्र बालिग निवासी मांडल तहसील मांडल

4–श्री रूपलाल पिता मूलचन्द्र बिड़ला, उम्र बालिग निवासी मांडल तहसील मांडल

5–श्री बालकिशन पिता मूलचन्द्र बिड़ला उम्र बालिग निवासी मांडल हाल निवासी सी–311, सुभाषनगर–भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

6–श्री सुरेश चन्द्र पिता मूलचन्द्र बिड़ला, उम्र बालिग निवासी मांडल हाल टीकम जी के मंदिर के पास, पादरा पोस्ट पादरा जिला बड़ौदा (गुजरात)

7–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ---प्रतिवादीगण

---

वादी की ओर से श्री सुरज सनाढ़य, एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से श्री – एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 13.1.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि – और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि – को दी जायें।

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 7 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम गुढ़ा पटवार हल्का संतोकपुरा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 215 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा के स्थान पर 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम दर्ज करते हुये कुल रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता हैं उसी अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें। तथा हाल नक्शें में हाल आराजी नम्बर 215 व 236 के मध्य रास्ते के रूप में दर्शाये गये भू–भाग रकबा 3 बिस्वा भूमि का खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

काश्तकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को घोषित किया जाता हैं। उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्दाज किया जावें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

( देबीसिंह रावत )
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
माण्डल जिला भीलवाड़ा
मांडल जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 13.1.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
माण्डल जिला भीलवाड़ा
माडल जिला भीलवाड़ा